तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 212 RT Act (138/15)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	छोटे मेंटर श्री गोपाल जी महाराज ...... बनाम अधिकारीगण	
10/20	पीठासीन अधिकारी महादय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10.11.20 को पेश हो।	
11/20	वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उप० । पत्रावली वास्ते बहस T.R. दिनांक 27.11.20 को पेश हो।	
27/11/20	पीठासीन अधिकारी महादय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.1.21 को पेश हो।	
22/01/21	वकलाय फरीकैन उप० । पत्रावली वास्ते बहस T.R. दिनांक 09/02/21 को पेश हो।	
.24 9/2/21	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावलि वास्ते निर्णय अस्थायी निषेधाज्ञा आयन्दा दिनांक 26.2.21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible] (भरतपुर) राज.	
2.21 26/2/21	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रार्थी वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.15 को इस प्रार्थना पत्र को [illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण [illegible] जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द [illegible] दिनांक 22.12.2015 तक ख.न. 11/0.30 वाके ग्राम कामिलपुर पट्टी सीकरी की रहन बय मुन्तकिल न करे। इसके उपरान्त प्रक्रियानुसार प्रार्थना पत्र न्यायिक कार्यवाही जारी रही तथा अस्थायी निषेधाज्ञा आगे बढ़ती रही।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Bansal
Date: 2024.02.29 16:02:28 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

212 RT Act
(138/15)

मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज --- बनाम अतिले वगै.

प्रस्तुत स्थगन पत्र, जवाब स्थगन पत्र, प्रस्तुत नजीरें, RRT 2018(1) Page 692, RRD 2011 Page 563, 2016(2) RRT Page 1144 (अप्रार्थी सं. 3,4,5,7 की ओर से) तथा RRT 2014-15 (Supp.) Page 138 (अप्रार्थी सं. ① व ② की ओर से) ~~का~~ का समग्र अध्ययन अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रमुख रूप से यह कथन किया कि मंदिर मूर्ति की आराजी गलत इन्द्राज के कारण दीगर व्यक्ति को नहीं जा सकती है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है उसके हितों की रक्षा के लिये आदेश दिनांक 19.11.15 को पुष्ट किया जाकर दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी रखा जावें।

अप्रार्थी अधिवक्ता (अप्रार्थी सं. 3,4,5, की ओर से) ने बहस में प्रमुख कथन किया कि हम बोनाफाईड खरीददार है। प्रार्थी द्वारा बेचनामा निरस्ती हेतु माननीय सिविल न्यायालय में वाद दायर नहीं किया गया है हम रिकोर्ड खातेदार है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जावें। इसी प्रकार अप्रार्थी अधिवक्ता (अप्रार्थी सं. 1, 2 की ओर से) ने प्रमुख रूप से यह कथन किया कि 1952 के राज लैण्ड रिफार्मस एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट के सेक्शन-22 के अनुसार मंदिर को खुदकाश्त आराजी के अधिकार प्रदत्त नहीं हो सकते जैसा कि मंदिर खुदकाश्त नहीं हो सकता है इस प्रकार वादी को वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है वाद Ab initio void है, अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।

इसके उपरान्त न्यायालय इस ~~निष्कर्ष~~ पर पहुंचता है कि -

(I) आराजी ख.नं. 11/0.31 वाके ग्राम कालिलपुर पट्टी, तहसील के संबंध में विगत एवं हाल राजस्व रिकोर्ड तथा हुए पंजीयन दस्तावेजों तथा प्रस्तुत दावा से प्रथम दृष्टया वाद होना स्पष्ट है।

(II) विगत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2052-2054 व

Signature N
Digitally signe
Date: 2024.02
Reason: SelfA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 212 RT Act (138/15)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज... बनाम अखिले वगै.	

जमाबन्दी सं. २०७८ से २०२० के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल विवादित आ.ख.नं. 11/0.31 साविक आराजी ख.नं. 1 मि. से बना है जो मंदिर श्री गोपाल जी महाराज व अहतमाम नारायणदास वल्द कुन्नीलाल कौम वैश्य सा. देह माफिदार देनराज के नाम से दर्ज रहा है इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में दर्शित होता है।

(iii) मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है यदि इनकी आराजी अवैधानिक रूप से गैर व्यक्तियों के पक्ष में हस्तान्तरित होती है तो विवाद और आगे बढ़ेगा तथा मंदिर मूर्ति को अपूरणीय क्षति होगी। तथा वाद के निस्तारण होने तक विवादित पक्षकारों की संख्या में भी अनावश्यक वृद्धि होने की प्रबल संभावना रहेगी।

अत: प्रार्थना पत्र (प्रार्थी वादी) अन्तर्गत धारा-212 राज. काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.11.2015 को जो अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत जारी किया गया था, को वाद के अंतिम निस्तारण तक संपुष्ट (absolute) किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

26.2.21

(सुरेन्द्र प्रसाद)
सहायक कलक्टर
(कार्यालय)
बयाना (भरतपुर) राज.

26/3/21 ~~अभिभाषक पक्ष द्वारा~~ कार्य का बहिष्कार रखा गया है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.4.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Bar
Date: 2024.02.29 16:02:28 IS
Reason: SelfAttested